न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

आम जनता ग्राम सिलपुरा तहसील करौली जिला करौली जरिये ग्रामवासी

1. हुकमसिंह पुत्र नवल गुर्जर उम्र 60 साल जाति गुर्जर
2. मोहनसिंह पुत्र जैसीराम उम्र 60 साल जाति गुर्जर
3. सरदार पुत्र धनसिंह उम्र 64 साल जाति गुर्जर
4. भगवान सिंह पुत्र नवल उम्र 61 साल जाति गुर्जर
5. कलुआ पुत्र बजरंगी उम्र 45 साल जाति गुर्जर
6. राजाराम पुत्र भगोली उम्र 46 साल जाति गुर्जर
7. रामजीलाल पुत्र कल्लाराम उम्र 72 साल जाति जाटव

सभी निवासी सिलपुरा तहसील करौली जिला करौली (राज0) — प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्योपाल जाति मीणा उम्र 72 साल निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली (राज0)
2. श्रीमती मोहन्ती पत्नि मनोज कुमार जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी कस्बा बस्ती किरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. आवंटन कमेटी जरिये उपजिला कलक्टर करौली — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) नियम भू–आवंटन बाबत निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 23.09.85 बाबत खसरा नम्बर 282 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिलपुरा तहसील करौली जिला करौली में स्थित है को निरस्त किये जाने बाबत्

निर्णय

दिनांक 24.02.2020

यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिलपुरा तहसील करौली की आराजी खसरा नं. 282 रकबा 7 बीघा 02 विस्वा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 23.09.1985 को आवंटन की गई थी जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सिलपुरा में सैंकडों परिवार निवास करते हैं जिसके द्वारा हजारों मवेशियों का पालन किया जाता है। इन मवेशियों की यही चराव की भूमि है जिसमें काफी पेड़ लगे हुये है इसलिये ग्रामवासियों से छिपाकर यह गलत आवंटन कराया है जो उक्त भूमि के बाबत आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही के लिये सभी ग्रामवासियों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र जरिये प्रतिनिधी पेश किया जा रहा है जिसके लिये पृथक से ऑर्डर 1 रूल 8 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। आवंटन दिनांक 23.09.85 जो गैरसायल नम्बर 1 को विधि विरूद्ध किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। आवंटन भूमि और कानूनी आवंटन के बाद कभी भी काश्त नहीं हुई है ना ही आवंटन नियमों की पालना की गयी है। इसलिये आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिलपुरा तहसील करौली अब तक गैरमुमकिन बीहड के रूप में रही है। कभी भी उक्त आराजीयात को काश्त नहीं किया गया है। आज भी यह भूमि टीलेनुमा के रूप में मौजूद है और उक्त भूमि ग्रामवासियों के चराव की भूमि रही है। इसलिये भी उक्त भूमि का काश्त होने का

कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि ग्रामवासियों के एकमात्र मवेशी चराव की भूमि रही है। इसमें ग्रामवासियों के मवेशी चरते चले आ रहे हैं। यह भूमि टीलों के रूप में होकर एक नाला भी जा रहा है। इस भूमि में कभी भी काश्त नहीं हुई है। उक्त भूमि वर्तमान में भी ऊबड खाबड अवस्था में है जिसमें मात्र घास पैदा होती है जो मवेशियों के चराव के काम आती है। इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गयी है तथा उक्त आवंटन गैर खातेदारी से खातेदारी करते समय प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा गैरसायल नम्बर 1 यह जानते हुए कि आवंटन अवैध है, गैरसायल नम्बर 1 ने गैरसायल नम्बर 2 को अवैध वयनामा कर दिया और गैरसायल नम्बर 2 अपने पति व हिस्सेदारों को साथ लेकर टेक्टर, जेसीबी लेकर दिनांक 10.05. 2017 को समतल करने पहुंची जिसको सभी ग्रामवासियों ने वामुश्किल अवैध कार्यवाही को रुकवाया। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी कभी भी काश्त नहीं हुई है। दिनांक 13.05.2017 को पुनः मौके पर जेसीबी लेकर आ गये मना किया नहीं माने तब दिनांक 15.05.2018 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और शीघ्रताशीघ्र प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। वास्तविक जानकारी दिनांक 15.05.2018 को होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त दस्तावेज प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। बकिया उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगें। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि ग्राम सिलपुरा में हजारों मवेशियों का पालन किया जाता है और यह कथन भी पूर्णतः गलत है कि इन मवेशियों के लिए यही चराव की भूमि है जिसमें काफी पेड लगे हुए है। सत्यता यह है कि ग्राम सिलपुरा में हजारों मवेशी नहीं है और उक्त आराजी खसरा नं. 282 चराव की भूमि नही है ना ही कभी पूर्व में चराव की भूमि रही है और उक्त आराजी में कोई पेड़ नही है ग्राम सिलपुरा की मवेशी के लिए चारागाह भूमि पृथक से स्थित है और उक्त आराजी खसरा नं. 282 चरागाह भूमि नही है इस कारण उक्त भूमि में मवेशी चरने का कोई प्रश्न पैदा नही होता। उक्त आराजी के चारो ओर ग्रामीणों की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां स्थित है जिन आराजीयात में फसल काश्त होती है और विवादित आराजीयात में भी फसल काश्त होती है कोई मवेशी विवादित आराजीयात में कभी नही चरती थी ना ही वर्तमान में चरती है। इस मद में प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि ग्रामवासियों से छिपाकर गलत आवंटन कराया है प्रार्थीगण ने आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का सार्वजनिक प्रकाशन किसी भी समाचार पत्र में नही कराया है और प्रतिनिधि बाद के विधिक प्रावधानों की पालना नही की है इस कारण प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 2 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है। अप्रार्थी सं. 1 के हक में विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 23.09.1985 विधि विरूद्ध नहीं है अपितु पूर्णतः विधिक प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करके किया गया है जो आवंटन पूर्णतः वैध है और उक्त आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिकता नही है और उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उक्त आवंटन किस प्रकार एवं किन कारणों से विधि विरूद्ध है जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत

तथ्यों पर एवं निराधार पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 3 गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि आवंटित भूमि आवंटन के बाद कभी काश्त नही हुई है और यह कथन भी गलत है कि आवंटन नियमों की पालना नही की गई है। सत्यता यह है कि आवंटित भूमि आवंटन के बाद से निरंतर काश्त की जाती रही है और आवंटन नियमों की कोई अवहेलना नही की गई है। प्रार्थीगण ने रंजिशवश झूठें तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं। आवंटित भूमि आवंटन के समय गैरमुमकिन बीहड के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है और गैरमुमकिन बेहड भूमि विधि अनुसार आवंटन योग्य नही भूमि नही है। बाद आवंटन प्रार्थी सं. 1 को आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त होने पर आवंटी अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त आराजी को आवश्यकता अनुसार लेवल कर काबिल काश्त बनाकर काश्त किया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि आज भी टीलेनुमा रूप में मौजूद है और ग्रामवासियों के चराव की भूमि रही है। उक्त आराजी कभी भी चराव की भूमि नही रही है और उक्त आराजी पर काश्त होती है आवंटन किसी भी दशा में निरस्त होने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 5 गलत है स्वीकार नहीं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि ग्रामवासियों के एक मात्र मवेशी चराव की भूमि रही है इससे ग्रामवासियों की मवेशी चरते चले आ रहे है और यह कथन भी गलत है कि यह भूमि टीले के रूप में है व गहरे गढढे बने हुए है और उक्त भूमि में होकर नाला भी जा रहा है और यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि में कभी काश्त नही हुई है तथा यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि वर्तमान में उबड़ खाबड़ अवस्था में है जिससे मात्र घास पैदा होती है जो मवेशियों के भराव के काम आती है। प्रार्थीगण ने यह समस्त तथ्य पूर्णतया गलत दर्ज किये है। उक्त भूमि मवेशी चराव की कभी नही रही है ना ही कभी चारागाह के रूप में दर्ज रही है। उक्त आराजी में कोई टीले अथवा गढढे नही है और ना ही घास फूस उगता हैं। उक्त आराजी में आवंटी द्वारा फसल काश्त की जाती रही है और अब भूमि खरीद के पश्चात अप्रार्थी सं. 2 फसल काश्त करती है उक्त आराजी में कोई नाला नही है तथा आवंटन शुदा भूमि के चारो तरफ ग्रामवासियों के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिनमे भी फसल काश्त होती है जो तय राजस्व नक्शा एवं राजस्व जमाबंदी से स्पष्ट है और चारों तरफ से खातेदारी की आराजीयात से घिरी हुई भूमि का मवेशी चराव की होने का कोई प्रश्न नहीं है तथा जब उक्त आराजी चारागाह भूमि ही नही है तो उसमें मवेशी चराव का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया है गलत है स्वीकार नही। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त आवंटन शर्तों की पालना की नही की गई है और यह कथन भी गलत है कि गैर खातेदारी से खातेदारी करते समय प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि आवंटन अवैध है और गैरसायल नं. 1 अवैध वयनामा करा दिया है। कोई आवंटन अवैध नही है और गैरसायल नं. 1 ने वयनामा साधिकार कराया है। इस मद में प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णत गलत है कि गैरसायल नं. 2 अपने पति को व हिस्सेदारों को साथ लेकर ट्रेक्टर जे.सी.वी. लेकर दिनांक 10.05. 2017 को समतल करने पहुंची जिसे ग्रामवासियों ने वमुश्किल रूकवाया था और यह कथन भी गलत है कि आराजी की काश्त नही हुई और यह कथन भी गलत है कि दिनांक 15.05.2018 को पुनः जे.सी.बी. लेकर आ गये। उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका कोई हिस्सेदार नही है और अप्रार्थी सं. 2 को अपने आराजी को काश्त करने एवं दुरूस्त करने तथा काश्त के लिए और अधिक उपयोगी बनाने तथा अराजी की सुरक्षा हेतु डोल मेड बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 2 को किसी प्रकार व्यवधान पैदा करने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण का आराजी में कोई हित नही है और प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र

पेश करने का विधिक अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 7 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पूर्णतः गलत तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 8 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों से बाहर कोई उज्रात उठाने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 9 कानूनी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पूर्णतः गलत तथ्यों पर आवंटन शुदा आराजी को हडपने के उद्देश्य से पेश किया है सत्यता यह है कि विवादित आराजी कभी भी मवेशी चराव की भूमि नही रही है और आवंटन में कोई अनियमितता नहीं है बाद आवंटन उक्त आराजी नियमानुसार काश्त की गई है प्रार्थीगण उक्त आराजी पर स्वंय कब्जा करना चाहते है इस कारण उन्होनें आम जनता की ओर से झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी विधिवत सूचना भी आम जनता को नही दी गई है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी सं. 1 के हक में उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 25.11.1985 को अर्थात अर्सा करीब 34 साल पूर्व विधिवत हुआ है जिसमें कोई अनियमितता नही है और लगभग 34 साल पुराने आवंटन के महज तकनीकी आधार पर निरस्त भी नही किया जा सकता है प्रार्थीगण ने भी यह अंकित नही किया है कि आवंटन में क्या अवैधानिकता अथवा अनियमितता है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। इस मामले में प्राथीगण सभी लोग भगतपुरा गुडला के गुर्जर है उनको अर्थात वे इस जमीन को हडपने की नियत से झूंठा मुकदमा कर रहे है जबकि सिलपुरा में मीना समाज के लोग रहते है उनके लिए कोई प्रकार की आपत्ति नही है क्योंकि जिस समय यह एलोटमेंट हुआ था उस समय इसी हल्का में 1985 में 100 एलोटमेंट हुये थे वे सभी नियम व कानूनी पालना में हुए थे अतः इस जमीन के चारों तरफ जाटवों की जमीन है जिस जमीन को मुकदमा करने वाले गुर्जरो ने ले रखा है। जमीन खसरा नं. 282 के चारों तरफ खातेदारी की जमीन है इस जमीन में कोई भी मवेशी नही चरी थी ना ही अब चरती है क्योंकि इस जमीन के चारों तरफ कृषि होती है जिसका नक्शा जबाब के साथ संलग्न है अतः सिलपुरा 1985 में ये एलोटमेंट हुआ था तब यह सारे ग्राम के आम लोगों की सहमति से हुआ था। मुकदमा करने वाले प्रार्थीगण में भगोली पुत्र नवल को स्वंय को 12 बीघा जमीन एलोटमेंट हुकम पुत्र जैसीराम के नाम से फर्जी एलोटमेंट करवाया है 11 बीघा 10 बिस्वा का जिसमें सही हुकम पुत्र नवल गुर्जर है और एलोटमेंट में पिता का नाम गुप्त रखते हुए हुकम पुत्र जैसीराम के नाम से एलोटमेंट करवा रखा है जबकि भगवान सिंह की घरवाली प्रेमबाई पत्नि भगवानसिंह 9 बीघा जमीन इसके नाम एलोटमेंट करवाई है जबकि ये तीनो भाई एक ही पिता की संतान है और ये लोग प्रभावशाली एवं दीगर है और किसी आदमी को देखना या रहना नही चाहते है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि ग्राम सिलपुरा में निवास करने वाले सैंकडों परिवारों द्वारा हजारों मवेशियों का पालन किया जाता है जिनके लिए यही चराव की भूमि है जिसमें काफी पेड़ लगे हुये है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा ग्रामवासियों से छिपाकर यह गलत आवंटन कराया है जिसे निरस्त कराने बाबत् सभी ग्रामवासियों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र जरिये प्रतिनिधि पेश किया गया है जिसके लिये पृथक से ऑर्डर 1 रूल 8 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी नं. 1 को किया गया आवंटन, आवंटन दिनांक 23.09.85 अवैध है एवं आवंटित भूमि पर कानूनी आवंटन के बाद कभी भी काश्त नहीं हुई है ना ही आवंटन नियमों की पालना की गयी है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिलपुरा तहसील करौली अब तक गैरमुमकिन बीहड के रूप में रही है। आज भी यह भूमि टीलेनुमा के रूप में मौजूद है और उक्त भूमि ग्रामवासियों के चराव की भूमि रही है। इसलिये उक्त भूमि का

काश्त होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त भूमि में ग्रामवासियों के मवेशी चरते चले आ रहे हैं। यह भूमि टीलों के रूप में होकर एक नाला भी जा रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में भी ऊबड खाबड अवस्था में है जिसमें मात्र घास पैदा होती है जो मवेशियों के चराव के काम आती है। उक्त आवंटन गैर खातेदारी से खातेदारी करते समय प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा गैरसायल नम्बर 1 यह जानते हुए कि आवंटन अवैध है, गैरसायल नम्बर 1 ने गैरसायल नम्बर 2 को अवैध वयनामा कर दिया और गैरसायल नम्बर 2 अपने पति व हिस्सेदारों को साथ लेकर टेक्टर, जेसीबी लेकर दिनांक 10.05.2017 को समतल करने पहुंची जिसको सभी ग्रामवासियों ने वामुश्किल अवैध कार्यवाही को रुकवाया। दिनांक 13.05.2017 को पुनः मौके पर जेसीबी लेकर आ गये मना किया नहीं माने तब दिनांक 15.05.2018 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थना पत्र पेश किया है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतः गलत है कि ग्राम सिलपुरा में हजारों मवेशियों का पालन किया जाता है और यह कथन भी पूर्णतः गलत है कि इन मवेशियों के लिए यही चराव की भूमि है जिसमें काफी पेड लगे हुए है। सत्यता यह है कि ग्राम सिलपुरा में हजारों मवेशी नहीं है और उक्त आराजी खसरा नं. 282 चराव की भूमि नही है ना ही कभी पूर्व में चराव की भूमि रही है और उक्त आराजी में कोई पेड़ नही है। ग्राम सिलपुरा की मवेशी के लिए चारागाह भूमि पृथक से स्थित है और उक्त आराजी खसरा नं. 282 चरागाह भूमि नही है। उक्त आराजी के चारो ओर ग्रामीणों की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां स्थित है जिनमें फसल काश्त होती है। इसलिये काश्त आराजीयात के बीच चराव की भूमि नहीं हो सकती है। प्रार्थीगण ने आदेश 1 नियम 8 सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का सार्वजनिक प्रकाशन किसी भी समाचार पत्र में नही कराया है और प्रतिनिधि बाद के विधिक प्रावधानों की पालना नही की है। अप्रार्थी सं. 1 के हक में विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 23.09.1985 पूर्णतः विधिक प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करके किया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उक्त आवंटन किस प्रकार एवं किन कारणों से विधि विरूद्ध है? आवंटित भूमि आवंटन के बाद से निरंतर काश्त की जाती रही है और आवंटन नियमों की कोई अवहेलना नही की गई है। आवंटित भूमि आवंटन के समय गैरमुमकिन बीहड के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है जो आवंटन योग्य भूमि है। बाद आवंटन प्रार्थी सं. 1 को आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त होने पर आवंटी अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त आराजी को आवश्यकता अनुसार लेवल कर काबिल काश्त बनाकर काश्त किया है। उक्त भूमि मवेशी चराव की कभी नही रही है ना ही कभी चारागाह के रूप में दर्ज रही है। उक्त आराजी में कोई टीले अथवा गढढे नही है और ना ही घास फूस उगता हैं। उक्त आराजी में आवंटी द्वारा फसल काश्त की जाती रही है और अब भूमि खरीद के पश्चात अप्रार्थी सं. 2 फसल काश्त करती है। उक्त आराजी में कोई नाला नही है। गैरसायल नं. 1 ने वयनामा साधिकार कराया है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका कोई हिस्सेदार नही है और अप्रार्थी सं. 2 को अपने आराजी को काश्त करने एवं दुरूस्त करने तथा काश्त के लिए और अधिक उपयोगी बनाने तथा आराजी की सुरक्षा हेतु डोल मेड बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 2 को किसी प्रकार व्यवधान पैदा करने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण का आराजी में कोई हित नही है और प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र पेश करने का विधिक अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पूर्णतः गलत तथ्यों पर आवंटन शुदा आराजी को हडपने के उद्देश्य से पेश किया है। इस कारण उन्होनें आम जनता की

ओर से झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी विधिवत सूचना भी आम जनता को नही दी गई है। प्रार्थीगण ने भी यह अंकित नही किया है कि आवंटन में क्या अवैधानिकता अथवा अनियमितता है। इस मामले में प्राथीगण सभी लोग भगतपुरा गुडला के गुर्जर है उनको अर्थात वे इस जमीन को हडपने की नियत से झूंठा मुकदमा कर रहे है जबकि सिलपुरा में मीना समाज के लोग रहते है उनके लिए कोई प्रकार की आपत्ति नही है क्योंकि जिस समय यह एलोटमेंट हुआ था उस समय इसी हल्का में 1985 में 100 एलोटमेंट हुये थे वे सभी नियम व कानूनी पालना में हुए थे। अतः इस जमीन के चारों तरफ जाटवों की जमीन है जिस जमीन को मुकदमा करने वाले गुर्जरो ने ले रखा है। जमीन खसरा नं. 282 के चारों तरफ खातेदारी की जमीन है इस जमीन में कोई भी मवेशी नही चरी थी ना ही अब चरती है क्योंकि इस जमीन के चारों तरफ कृषि होती है जिसका नक्शा जबाब के साथ संलग्न है। अतः सिलपुरा 1985 में ये एलोटमेंट हुआ था तब यह सारे ग्राम के आम लोगों की सहमति से हुआ था। मुकदमा करने वाले प्रार्थीगण में भगोली पुत्र नवल को स्वंय को 12 बीघा जमीन एलोटमेंट हुकम पुत्र जैसीराम के नाम से फर्जी एलोटमेंट करवाया है 11 बीघा 10 बिस्वा का जिसमें सही हुकम पुत्र नवल गुर्जर है और एलोटमेंट में पिता का नाम गुप्त रखते हुए हुकम पुत्र जैसीराम के नाम से एलोटमेंट करवा रखा है जबकि भगवान सिंह की घरवाली प्रेमबाई पत्नि भगवानसिंह 9 बीघा जमीन इसके नाम एलोटमेंट करवाई है जबकि ये तीनो भाई एक ही पिता की संतान है और ये लोग प्रभावशाली एवं दीगर है और किसी आदमी को देखना या रहना नही चाहते है। अंत में निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सिलपुरा की आराजी खसरा नंबर 282 रकबा 7 बीघा 2 विस्वा को मवेशियों के चारागाह ही होना अंकित किया है लेकिन भूमि के चारागाह होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। उक्त भूमि चारागाह भूमि ना होकर वक्त आवंटन गै.मु. बेहड़ रही है जो आवंटन योग्य भूमि नहीं की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी के चारों तरफ अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि होने पर बीच में चारागाह जमीन नहीं हो सकती है ना ही उसमें मवेशियां चर सकती हैं क्योंकि किसी भी काश्तशुदा खातेदारी के अंदर होकर मवेशी चराव हेतु नहीं आ सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित भूमि के आवंटन में क्या अनियमितता की गई है, यह भी प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर शपथ पत्र अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी से संबंधित ग्राम के निवासी भी नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 13:59:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: